



2026:AHC-LKO:42072

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

दाण्डिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 4523 वर्ष 2026

दिवाकर मौर्या उर्फ दीपू

..... आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव, गृह, लखनऊ

..... विरोधी पक्षकार (गण)

आवेदक के अधिवक्ता : विनोद कुमार, आकाश कुमार बाजपेयी, चन्द्र शेखर सिंह यादव

विरोधी पक्षकार के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 12

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया एवं अभिलेख का परिशीलन किया गया।

वर्तमान जमानत आवेदन, आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 473 वर्ष 2025, अन्तर्गत धारा 69, 115(2), 351(3) भारतीय न्याय संहिता, 2023, थाना- ठाकुरगंज, जनपद- लखनऊ में विचारण के दौरान उसे जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क यह है कि आवेदक निर्दोष है तथा उसे दुरभिसन्धिपूर्ण आशय (परोक्ष हेतुक) से वर्तमान प्रकरण में मिथ्या रूप से आलिप्त किया गया है। उन्होंने आगे निवेदन किया कि आवेदक तथा अभिकथित पीड़िता के मध्य सहमतिपूर्ण सम्बन्ध था, यद्यपि उनके बीच कुछ नाराजगी होने के उपरान्त प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि विगत तीन वर्षों से अभिकथित पीड़िता के साथ शारीरिक सम्बन्ध था, जैसा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 के अन्तर्गत पीड़िता के कथन में स्वीकृत तथ्य है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 के अवयव वर्तमान प्रकरण में आकर्षित नहीं होते, क्योंकि विवाह के मिथ्या वचन पर कोई अपराध नहीं किया गया है। उन्होंने आगे निवेदन किया कि आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वह दिनांक 21.01.2026 से कारागार में परिरुद्ध है। उन्होंने निवेदन किया कि आवेदक वचन देता है कि जमानत प्रदान किए जाने की दशा में वह उसकी स्वतन्त्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण की कार्यवाहियों में सहयोग करेगा।

इसके प्रतिकूल, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने उपरोक्त तर्कों का विरोध किया तथा निवेदन किया कि आवेदक किसी अनुतोष का अधिकारी नहीं है।

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने तथा अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री के परिशीलन के उपरान्त यह प्रकट होता है कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 के अवयव प्रथमदृष्टया वर्तमान प्रकरण में आकर्षित नहीं होते। पक्षकारों के मध्य विगत तीन वर्षों से शारीरिक सम्बन्ध स्वीकृत है तथा धमकी अथवा प्रपीड़न का कोई चिह्न नहीं है। यह न्यायालय आगे यह पाता है कि आवेदक दिनांक 21.01.2026 से कारागार में परिरुद्ध है तथा आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक ने वचन दिया है कि जमानत प्रदान किए जाने की दशा में वह उसकी स्वतन्त्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण की कार्यवाहियों में सहयोग करेगा।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के निवेदनों, अभियोजन की प्रकृति एवं दोषसिद्धि की दशा में दण्ड की गम्भीरता, समर्थक साक्ष्य की प्रकृति, आरोप के समर्थन में न्यायालय की प्रथमदृष्टया

सन्तुष्टि, दण्ड के सुधारात्मक सिद्धान्त तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक अधिदेश पर विचार करते हुए, तथा प्रकरण के गुणदोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत हेतु उपयुक्त प्रकरण पाता हूँ।

आवेदक- दिवाकर मौर्या उर्फ दीपू, जो उपरोक्त उल्लिखित अपराध में आलिप्त है, को सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर अवमुक्त किया जाए :-

- (1) आवेदक विवेचना अथवा विचारण के दौरान साक्षियों को भयभीत करके/उन पर दबाव डालकर अथवा अन्यथा अभियोजन साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा;
- (2) आवेदक इस आशय का वचनपत्र प्रस्तुत करेगा कि वह साक्ष्य हेतु नियत तिथियों पर, जब साक्षीगण न्यायालय में उपस्थित हों, कोई स्थगन नहीं चाहेगा। वह विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्येक नियत तिथि पर, स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की दशा में विचारण न्यायालय भारतीय दण्ड संहिता की धारा 229-क के अन्तर्गत उसके विरुद्ध कार्यवाही कर सकेगा;
- (3) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष (i) वाद के प्रारम्भ, (ii) आरोप विरचन तथा (iii) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अन्तर्गत कथन अभिलिखित किए जाने हेतु नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा; तथा
- (4) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतन्त्रता का दुरुपयोग करता है तथा उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के अन्तर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है और आवेदक ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय भारतीय दण्ड संहिता की धारा 174-क के अन्तर्गत उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ करेगा।



प्रतिभुओं की पहचान, प्रास्थिति एवं निवास-प्रमाण का सत्यापन सम्बन्धित न्यायालय द्वारा किया जाएगा तथा उपरोक्त शर्तों में से किसी के भी भंग की दशा में अधीनस्थ न्यायालय जमानत निरस्त करने तथा आवेदक को कारागार भेजने के लिए स्वतन्त्र होगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियाँ कठोरतापूर्वक इस जमानत आवेदन के निस्तारण तक ही सीमित हैं तथा उन्हें प्रकरण के गुणदोष पर किसी प्रकार का प्रतिबिम्बन नहीं समझा जाना चाहिए।

जून 25, 2026

मयंक

(न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह)